

राजस्व रवं भूमि सूधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं०..... / रा०, पटना / दिनांक

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा-तेतराही, थाना नं०-७४, थाना-बेगूसराय, परगना-भुसारी, जिला-बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-अनुसूचित जाति टोला में पहुँच पथ हेतु भू-अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अनिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिये पूर्वोक्त प्राप्त नं०- तेतराही, थाना नं०-७४ के भीतर कमावेश ढी०-X का०-X धुर-X है जो-०.०५ एकड़ के बराबर होता है। भूखण्ड जिसमें -X एकड़ बंजर तथा-०.०५ एकड़ कर्ज गीर है, अपेक्षित है। जिसका पूर्ण पर्याय नहीं खोसा सं०-X तथा आंशिक सर्वे खेसरा सं०-१०५ एवं १०८ से और हसकी चोहदी निम्न छक्कर है:-

उत्तर	आंशिक सर्वे खेसरा सं० १०५ एवं सर्वे खेसरा सं० १०७
दक्षिण	आंशिक सर्वे खेसरा सं० १०८
पूरब	सर्वे खेसरा सं० १०४ सड़क
पश्चिम	आंशिक सर्वे खेसरा सं० १०७ एवं १०९

यह अधिसूचना अधिनियम १,१९८४ की धारा-४ के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम १,१९६१ एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम १९८४ द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इस से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय के वार्यालय में देखा जा सकता है।

बेहार सरकार भूमि-अर्जन पदाधिकारी के और इनके रटॉफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे—अपर समाहर्ता, बेगूसराय के पदाधिकारियों और स्टॉफ को प्राधिकृत करती है, कि भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा-४ की उपधारा-२ से तथा संबंधित या यथा निर्दिष्ट अपने कार्य से समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि साक्ष भूमि रंगर, कूपे धोग्य है और जिसका अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-१७ की उपधारा-४ के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-५ (अ) के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्ता

सरकार के अवर सचिव

बेगूसराय।

ज्ञापांक संख्या - 14/डी० एल० ए० बे॒ग० (संपर्क पथ) - 85/2012 - ३१/रा०,

७३०-०५-०१-१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बे॒ग०सराय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहिता, जिला गजट, समाहरणालय, बे॒ग०सराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बे॒ग०सराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/समाहिता, बे॒ग०सराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

७३०-०५-०१-१३
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।